न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/51 **दायरा दिनांक : 11.03.2025**

उनवान

प्रदीप कुमार पुत्र हरिशंकर, आयु 48 वर्ष, निवासी रूपाहेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. राजेश बाई पत्नी जगदीश, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
2. योग्यता पुत्री राजेश बाई ना. बा. जर्ये प्राकृतिक संरक्षक माता राजेश बाई पत्नी जगदीश, निवासी बोहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खानपुर जर्ये प्रबन्धक महोदय, एस.बी.आई. खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
5. सीमा पुत्री श्री हरिशंकर पत्नी मुकेश कुमार, निवासी रूपाहेडा, हाल दंडोतिया की बाडी, तेल फैक्ट्री, बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेश शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 21.11.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 544/प्रार्थना पत्र/2022 निर्णय दिनांक 25.02.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण प्रदीप कुमार व सीमा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रूपाहेडा, तहसील खानपुर के माल की खाता सं. 161 पुराना 140 की खसरा नं. 257/510 रकबा 0.9389 हेक्टेयर व खसरा नं. 258 रकबा 3.4317 हेक्टेयर कुल 2 किता की 4.3706 हेक्टेयर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 25.02.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2025 न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं होना मानकर भारी त्रुटि की है, जबकि अपीलांट की ओर से प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध कर दिया गया था कि रेस्पोडेंट नं. 1 राजेश बाई अपने पति अरविन्द की मृत्यु होने के 10–12 दिन बाद ही लडाई झगडा करके अपने पीहर चली गई तथा पति अरविन्द की मृत्यु के दो तीन महीने बाद ही छीपाबडौद के इलियास मोहम्मद के साथ पत्नी बनकर रहने लग गई, इसके बाद 6 महीने इलियास के साथ रहकर इलियास को छोडकर पवन कुमार पुत्र नरेन्द्र ग्राम मोखमपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां के साथ पुनः विवाह करके रहने लगी तब राजेश बाई के एक पुत्री ग्राम मोखमपुरा में पैदा हुई जो अरविन्द की मृत्यु के लगभग 3 वर्ष बाद हुई। राजेश बाई ने मोखमपुरा के पवन कुमार को भी छोड दिया और अब जगदीश निवासी ग्राम बोंहरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड की पत्नी बनकर रह रही है इस बारे में अपीलांट की ओर से ग्राम पंचायत मोखमपुरा का प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2013 तथा ग्राम पंचायत जोलपा का प्रमाण पत्र दिनांक 18.09.2020 पेश किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस दस्तावेजों को अनदेखा कर दिया जिससे अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं यह माना कि खातेदारी अधिकारों के संबंध में वाद विचाराधीन है जिसमें साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय होना है तब ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को ताफैसला वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान कर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने भयंकर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 22.03.2022 को रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश, आगामी आदेश के लिये जारी किया गया था, उक्त आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी क्योंकि रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है तथा वाद के निर्णय के पूर्व ही व वादग्रस्त आराजी को बेचने के लिये तत्पर हो जावेगे। जिससे अपीलांट को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो सकेगी। ताफैसला अपील रेस्पोडेंट नं. 1, 2 व 3 को मौके की एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है अन्यथा अपीलांट की अपील करना ही निरर्थक हो जावेगा तथा अनेक विवाद उत्पन्न हो जावेगे। रेस्पोडेंट नं. 5 सीमा ने अपीलांट के साथ जोईन नहीं किया है इसलिए बतौर रेस्पोडेंट्स अंकित किया गया है। अतः प्रार्थना है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2025 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेंट के विरूद्ध हस्व प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी करते हुए मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस वं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया था। खातेदार हरिशंकर की मृत्यु दिनांक 03.092020 को पत्नी की मृत्यु से पूर्व ही हो गई थी। हरिशंकर खातेदार की तीन वारिसान प्रदीप, सीमा व अरविन्द हुए अरिविन्द की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी राजेश लडाई झगडा करके चली गई। उसके बाद राजेश इलीयास मोहम्मद के साथ रहने लगी। इलीयास मोहम्मद को छोड़कर पवन पुत्र नरेन्द्र ग्राम मोखमपुरा, तहसील छीपाबडोद के साथ विवाह कर लिया और अब ग्राम भौरा, तहसील खानपुर में जगदीश की पत्नी बनकर रह रही है। राजेश विवादित आराजी में हिस्सा मांग रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज कर दिया। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम रूपाहेडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड की खाता संख्या 161 खसरा नं. 257/510, 258 कुल किता 2 रकबा 4.3706 है। विवादित आराजी हरिशंकर पुत्र जगदीश के खाते दर्ज रिकार्ड है। फोटोकापी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार खातेदार हरिशंकर की मृत्यु दिनांक 03.09.2020 को होना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार खातेदार हरिशंकर के वारिसान में प्रार्थी कम 1 व 2 तथा अप्रार्थी कम 1 के पति मृतक अरविन्द कुमार उर्फ बीनू है। अरविन्द की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने के 10–12 दिन बाद ही उसकी विवाहिता पत्नी राजेश बाई अप्रार्थी कम 1 अपने पीहर चली गई और उसने पुर्नविवाह कर लिया तथा अप्रार्थी कम 2 का जन्म मृतक अरविन्द की मृत्यु के लगभग तीन वर्ष बाद हुआ है। अतः अप्रार्थी कम 1 व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2 का विवादित आराजी में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। अप्रार्थी सं. 1 के पुर्नविवाह करनेके सम्बन्ध में कोई ठोक दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी कम 2 के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं कमोन्नति प्रमाण पत्र कक्षा 7 की फोटोकापी के अनुसार जन्म दिनांक 10.12.2007 अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी कम 1 व 2 के पति एवं पिता अरविन्द कुमार उर्फ बीनू के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के अनुसार मृत्यु की दिनांक 06.05.2009 अंकित है। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी सं. 2 का जन्म अरविन्द कुमार उर्फ बीनू की मृत्यु से पूर्व हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थी सं. 2 सीमा पुत्री हरिशंकर की ओर से जर्ये अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल नागर वाद विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया अपने हिस्से तक का वाद विड्रो करना चाहती है क्योंकि प्रतिवादिया नं. 1 मेरे भाई की पत्नी है व प्रतिवादिया नं. 2 मेरे भाई अरविन्द की पुत्री है। इसलिए प्रार्थिया इन प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इससे भी प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि प्रार्थी कम 2 सीमा द्वारा अप्रार्थी कम 1 व 2 को अपने मृतक भाई अरविन्द की पत्नी और पुत्री माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया के हिस्से तक वाद विड्रो करने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी कम 1 प्रार्थना पत्र में अंकित अपने कथनों को अधीनस्थ न्यायालय में साबित करने में असफल रहा है। अतः अपील के इस स्तर पर हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा